भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2053

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि जारी करना

2053. श्री ईशा खान चौधरी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के अंतर्गत मुर्शिदाबाद के लिए निर्धारित 490.73 करोड़ रुपये में से केवल 159.36 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष राशि जारी करने में देरी के कारण क्या हैं तथा परियोजना-वार यह कब तक जारी होने की संभावना है;

(ग) क्या एफएमबीएपी के अंतर्गत मालदा जिले के लिए कोई राशि निर्धारित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)/एफएमबीएपी के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 1281.11 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जिसमें वर्ष 2007 से 2017 की अवधि के दौरान 966.5 करोड़ रुपये शामिल हैं और यदि हाँ, तो परियोजना-वार और जिलेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल एफएमबीएपी-एफएमपी निधि के लिए केवल 315 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार मालदा और मुर्शिदाबाद क्षेत्रों में बार-बार आने वाले और तीव्र बाढ़ के खतरों के मद्देनजर एफएमबीएपी के अंतर्गत किसी अतिरिक्त या संशोधित वित्तपोषण प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (च): बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार, गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य के प्रयासों में सहायता करती है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के हेतु XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधी और वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" के एक घटक के रूप में जारी है। एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के तहत XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में 2261.02 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली कुल 18 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं शामिल की गईं। मार्च 2025 तक, एफएमबीएपी योजना के तहत राज्य को कुल 1289.89 करोड़ रुपये (एफएमपी घटक के तहत 1051.96 करोड़ रुपये और नदी प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र (आरएमबीए) घटक के तहत 237.93 करोड़ रुपये) की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। एफएमपी के तहत शामिल परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक** में है। मंत्रालय में केंद्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। कुल 18 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं में से, राज्य में 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो लगभग 1.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करती हैं और लगभग 24.94 लाख लोगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं।

मंत्रालय की एफएमबीएपी योजना के एफएमपी घटक के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए मुर्शिदाबाद जिले को लाभान्वित करने वाली 490.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली तीन (3) बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को शामिल किया गया और 159.37 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

*****

अनुलग्नक

'बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि जारी करना' के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 2053 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एफएमबीएपी योजना के एफएमपी घटक के अंतर्गत वित्त पोषित बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं का ब्यौरा।

योजना/राज्य का नाम	स्थान		अनुमानित लागत लाख रुपये में	अब तक जारी की गई केंद्रीय सहायता लाख रुपये में
	नदी/ सहायक नदी	जिला/ तालुका		
Xवीं योजना से स्पिलओवर परियोजनाएं				39
दक्षिण सरस्वती नदी (ऊपरी एवं 7 निचले दोनों भाग) का नसीबपुर, जिला हुगली में ऑफटेक (चेनेज 0.00) से संकरैल, जिला हावड़ा में आउटफॉल (चेनेज 1410.00) तक सुधार।	दक्षिण सरस्वती	हावड़ा	3210.00	1291.56
गोसाबा पुलिस थाने में मौजा मथुराखंडा में बिद्या नदी के एल/बी पर 18.20 किमी से 18.825 किमी तक तथा मौजा-अमलामेथी में 20.50 किमी से 21.00 किमी तक 32.5 सेमी मोटी सूखी ईंट पिचिंग के साथ कवच द्वारा सुंदरबन तटबंध को ऊपर उठाना और मजबूत करना तथा	बाद्या और हीरोभंगा	24 दक्षिण परगना	502.87	364.08

जयनगर (I) डिवीजन के तहत जिला- 24 दक्षिण परगना के बसंती पुलिस थाने में हीरोभंगा नदी के सामने मोजा झारखाली-IV पर 48.33 किमी से 48.98 किमी तक ईंट ब्लॉक (25 सेमी) पिचिंग के साथ तटबंध को ऊपर उठाना और मजबूत करना।				
पुलिस थाना एवं ब्लॉक कुंअरग्राम में रैडक-II नदी के दाहिने किनारे पर संरक्षण।	रैडक-II	जलपाईगुड़ी	328.14	230.84
पुलिस थाना अलीपुरद्वार, चरण-II में डायना और कालजानी नदी के बाएं किनारे पर अलीपुरद्वार टाउन सुरक्षात्मक तटबंध का आर/एस।	डायना और कलजानी	जलपाईगुड़ी	197.00	137.20
गबुर बसरा पी.एस. जयगांव में मेचियाबस्ती में टोरसा नदी और इसकी सहायक नदियों (बसरा) के एल/बी पर सुरक्षा।	टोरसा	जलपाईगुड़ी	728.00	501.00
पी.एस. माल और मयनागुड़ी, (6 क्षेत्रों में)में तीस्ता नदी के एल/बी और आर/बी पर सिद्धाबारी चेंगमारी से बकाली तक तटबंध और स्पर्स को मजबूत करना और पुनः खंडित करना।	तीस्ता	जलपाईगुड़ी/सिधाबारी चेंगमारी से बकाली गांव	303.00	122.63
माल थाना क्षेत्र में तोरीबारी से कुमलाई अंचल तक चेल नदी	चेल	माल ब्लॉक में जलपाईगुड़ी/तुरिबारी और कुमलाई आंचल	370.00	139.71

(तीस्ता नदी की सहायक नदी) के दोनों किनारों पर संरक्षण (4 क्षेत्रों में)।				
पी.एस. माथाभांगा में जोरसिमुली मागुरमारी क्षेत्र से जलढाका नदी के दाहिने किनारे पर सुरक्षा	जलधाका	कूच बिहार/जोर्शिमुली मौजा	307.00	208.06
गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त सुंदरबन तटबंध को 25 सेमी मोटी ईंट ब्लॉक पिचिंग प्रदान करके ऊंचा और मजबूत करना, मौजिया हरिपुर में 10.60 किमी से 11.10 किमी तक, तालतला के पास मौजा हरिपुर में 11.10 किमी से 11.40 किमी तक और पीएस नामखाना और पाथरप्रतिमा में सप्तमुखी नदी के साथ मौजा इंद्रपुर में 5,275 किमी से 5.605 किमी तक।	सप्तमुखी	दक्षिण 24-परगना	464.00	300.00
पुलिस थाना पाथरप्रतिमा में 2.25 किमी से 2.95 किमी के बीच बंगाल की खाड़ी के सामने मौजा गोबरधनपुर (दक्षिण-पूर्व मुख) पर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त समुद्री बांध की मरम्मत और कंक्रीट ब्लॉक पिचिंग के साथ रिवेटमेंट द्वारा संरक्षण।	गंगा	दक्षिण 24-परगना	617.00	138.00

दाहिने किनारे पर मौजा संख्या 7 सोनाखाली में 28.80 किमी से 29.50 किमी तक सूखी ईंट पिचिंग के साथ कवच द्वारा सुंदरबन तटबंध को ऊपर उठाना और मजबूत करना और पी.एस. बसंती में बसंती बाजार के पास होगल नदी के बाएं किनारे पर 0.25 किमी से 0.75 किमी तक और बिद्या और करताल नदियों के संगम के सामने मौजा चांदीपुर में 12.50 किमी से 13.10 किमी तक और पी.एस. गोसाबा में 13.20 किमी से 13.84 किमी तक और मौजा महेशपुर में मृदंगभंगा नदी के बाएं किनारे पर 48.32 किमी से 49.02 किमी तक और ठकुरन नदी के दाहिने किनारे पर 12.20 किमी से 12.565 किमी तक और पी.एस. पाथरप्रतिमा में मौजा पुरबा श्रीपतिनगर में 12.634 किमी से 13.00 किमी तक।	होटल, विद्या और करताल, मृदंगा भंग और ठकुरान	दक्षिण 24-परगना	1085.00	659.50
पीएस नामखाना में बंगाल की खाड़ी के सामने मौजा पटीबोनिया (एबी, बीसी, सीडी और डीक्यू खंडों में) पर सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक पिचिंग द्वारा सुंदरबन तटबंध को 6.80 किमी से	गंगा	दक्षिण 24-परगना	1499.00	812.75

8.24 किमी तक ऊंचा और मजबूत करना।				
थाना कुलतली में मतला नदी के किनारे मौजा कैखैली में 24.99 किमी से 25.98 किमी तक तथा थाना गोसाबा में रायमंगल नदी के किनारे मौजा पुइंजाली में 2.60 किमी से 3.90 किमी तक ईंट ब्लॉक पिचिंग द्वारा सुंदरबन तटबंध को ऊंचा और मजबूत करना।	मतला और रायमंगल	दक्षिण 24-परगना	948.00	635.00
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सुन्दरपुर और बसंतपुर, काजीपारा से नवग्राम और सहरबाती से उत्तरासन आउटफॉल तक तथा नादिया जिले में सान्यालचर में भागीरथी नदी के दोनों किनारों पर तट संरक्षण कार्य।	भागीरथी	मुर्शिदाबाद और नादिया	2366.00	1419.76
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में इचलीपारा, मोया, गलादार्या, पश्चिम बीचपारा (बामनापाड़) और नादिया जिले में बौसमारी में गंगा-पद्मा नदी के दाहिने किनारे पर तट संरक्षण कार्य।	गंगा-पद्मा	मुर्शिदाबाद और नादिया	2813.00	1909.50
भयंकर चक्रवात "ऐला" से क्षतिग्रस्त हुए उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों के सुंदरबन और आसपास	सुंदरबन क्षेत्र में 76 नदियां और खाड़ियां	उत्तर और दक्षिण 24 परगना	133950.00	66652.12

के क्षेत्रों में तटबंधों का पुनर्निर्माण, पुनर्मांडलिंग और सुधार।				
कालियाघई-कपालेश्वरी-बघई बेसिन के लिए जल निकासी योजना।	कालियाघई, कपालेश्वरी, बघई, देउली, चंदिया, कालीमोंडोप आदि।	मेदिनीपुर	32520.00	17027.25
कंडी और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में तटबंध का सुधार और सहायक कार्य।	कंडी	मुर्शिदाबाद	43894.00	12607.71
कुल			**226102.01**	**105195.66**

*****